

भाग-७

वृद्धों के लिए योजनाएं**(क) राज्य योजनाएं****(1) वरिष्ठ नागरिकों को पहचान-पत्र**

उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/सुविधाओं का लाभ देने हेतु।
 प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी करवाने के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन देना होगा जिसके साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, स्थाई पते का प्रमाण तथा 20/- -रु0 (कार्ड की कीमत) सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी को सीधे या पंचायत स्तर पर स्थापित लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से जमा करवाने होगे।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित पंचायत में स्थापित लोक मित्र केन्द्र।